

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 56 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प12(6)/वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	पद	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	श्री महेन्द्र कुमार खत्री, कार्या. जिशिअ मा0 जालोर	प्रशासनिक अधिकारी	02.06.57	30.06.2017
2	श्री चैनाराम, कार्या. निदेशक प्रा0शि0 राज0 बीकानेर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05.11.56	30.11.2016
3	श्री प्रदीप सिंह, निदेशक मा0शि0 राज0, बीकानेर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	08.11.56	30.11.2016
4	श्री आनन्द दवे, कार्या. जिशिअ माशि0-1 उदयपुर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05.12.56	31.12.2016
5	श्री देवेन्द्र बोडा, कार्या. शा0शि0महा.विद्या. जोधपुर	कार्या. अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03.06.57	30.06.2017

प्रारूप-6

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 18/11/16

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/101

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग
3. संबंधित, उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग
4. संबंधित, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका

अतिरिक्त निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर